अध्यक्ष महोदय : इसी लिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि उस डिसकशन में सारे प्वाइंट आ जायेंगे ।

(व्यवधान)

SHRI K. MAYATHEVAR : This question concerns the problem of the downtrodden people and the middle-class people.

(व्यवधान)

श्री रशीद मसूद : डिसकशन में सारे प्वाइंट्स का जवाब नहीं आएगा ।

अध्यक्ष महोदय : रशीद साहब आपको गलतफहमी है । उसमें सारे प्वाइंट आ जायेंगे ।

(व्यवधान)

प्रमाणित बीजों की सप्लाई

*203. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों को अच्छे तथा प्रमाणित बीजों की सप्लाई सुनिश्चित करने के वर्तमान प्रबन्ध पर्याप्त हैं;

(ख) इस सम्बन्ध में राजकीय बीज निगमों को क्या निदेश जारी किये गये हैं;

(ग) क्या प्रणाणित तथा घटिया किस्म के बीजों का उपयोग किये जाने के कारण फसलें नष्ट हो जाती हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसी स्थिति में बचने के लिए क्या उपाय सोचे गये हैं; और

(ङ) क्या सरकार को मालूम है कि बीजों के क्रय-विक्रय हेतु गैर सरकारी वाणिज्यिक कम्पनियों को राजकीय बीज निगमों द्वारा दी गई रियायत का पूरी तरह दुरुपयोग किया जा रहा है ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN) : (a) In order to assess and meet the requirements of certified quality seeds for the farmers in the various agro-climatic regions advance planning of production and distribution of such seeds in consultation with the State Governments and other seed production/distribution agencies is regularly done before every crop season. This is followed by close liaison with the research, certification, multiplication and processing agencies. Continuous monitoring of the availability situation is conducted and all efforts are made to maintain adequate supply of quality/certified seeds.

(b) Distribution of seeds within the State is the function of the State Government. However, the Government of India remain in touch with the State Governments and State Seed Corporations continuously and issue guidelines from time to time to ensure adequate supply and to strengthen infrastructures required for seed production and distribution.

(c) Crop yield per hectare amongst other inputs depends on the quality of the seeds used. Poor and sub-standard seeds affect the productivity.

(d) Apart from enforcement of various legal and administrative measures to ensure distribution of quality seeds to the farmers, massive efforts are being made to inerease the availability of breeder, foundation and certified seeds through the strengthening of the infrastructure of research, production and processing under the National Seeds Project.

(e) The Goverment is not aware of any concession being given by the State Seeds Corporations to the private commercial companies for the purchase and sale of seeds.

श्री नरसिंह मकवाना : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी और इतना इन्तजाम होने के बाद भी किसानों को खराब किस्म का बीज मिलता है, जिससे उसकी सारी फसल

नष्ट हो जाती है और कहीं कहीं पर तो उसके बारे में बाद में कुछ भी सुनवाई नहीं होती है । भारत सरकार ने बोल दिया है कि बीज का वितरण करने की जिम्मेवारी राज्य सरकार पर है मगर राज्य सरकार भी कुछ नहीं कर सकती और यहां से भी कुछ नहीं होता । मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि किसानों को खराब बीज न मिलें, जिनसे उनकी फसलें नष्ट न हों, इसके लिए क्या सरकार कुछ उपाय कर रही है ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : सरकार का पूरा प्रयास यही रहता है कि किसानों को अच्छे किस्म के बीज उपलब्ध कराए जाएं । जहां कहीं से भी शिकायत मिलती है कि अच्छे बीज नहीं बांटे गये हैं, वहां केन्द्रीय सरकार अपनी तरफ से और राज्य सरकार को भी हम इस संबंध में निर्देश भेजते रहते है कि वे यह सुनिश्चित करें कि जो बीज सप्लाई किये जाएं, वे अच्छे हों और जहां से यह शिकायत आए कि अच्छे बीज सप्लाई नहीं हुए हैं, वहां उस शिकायत की जांच करें और उस शिकायत को दूर करें ।

श्री नरसिंह मरकवाना : अध्यक्ष जी, खासकर जो निजी-व्यापारी और कम्पनियां हैं, वे किसानों को बीज देने में बड़ी गड़बड़ करती हैं । उनके बीज अच्छे हैं, ऐसा सर्टीफिकेट वे कहीं से ले आते हैं और उस सर्टीफिकेट के आधार पर किसान बीज ले लेता है और फिर उसका नुकसान हो जाता है और फसलें बरबाद होने से किसान पर बहुत बुरा असर पड़ता है । ऐसी निजी कम्पनियां सरकार के अधिकारियों से मिली-जुली हैं और इस कारण किसानों को घटिया बीज मिलता है । यह जो एक तरीका बन गया है, इसको रोकने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : इस सम्बन्ध में सरकार ने नये कदम उठाए हैं और उनमें यह भी शामिल है कि बीज के वितरण को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत ले लिया गया है और इस सम्बन्ध में जो नियम हैं, वे बनाए जा रहे हैं । इसके अलावा जहां कहीं से भी स्पष्ट और निश्चित शिकायत मिलेगी कि कहीं पर खराब बीजों का वितरण किया गया है, तो उसके बारे में मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहूंगा कि सरकार उस शिकायत को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी और कुछ कदम भी उठाएगी । अगर माननीय सदस्य चाहें, तो मैं आंकड़े दे दूं जहां पर अच्छे बीजों की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए चैक किया गया और बहुत से प्राइवेट डीलरों के खिलाफ मुकदमें दर्ज किये गये और उन पर बहुत से मुकदमे चल भी रहे हैं ।

श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर : मैं आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं और उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पूरे देश में एक तरह का रैकेट बना हुआ है जो किसानों को नकली बीज सप्लाई करते हैं । मेरी कांस्टीटुयेन्सी में कपास होती है और जालना से सारा बीज आता है । महाराष्ट्र से बीज आता है और नकली बीज किसानों को मिलते हैं और यह परेशानी किसी एक स्टेट की नहीं है बल्कि सारे देश में इसका एक रैकेट बना हुआ है । किसानों को नकली बीज दिये जाते हैं, जिनसे उनकी फसल बरबाद होती है और किसान का सब कुछ लुट जाता है । मैं आप के माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे जो एसेंशियल कामोडीटीज एक्ट में इसको लेने जा रहे हैं, तो नियम बनाने में वे शीघ्रता करें और दंड देने का क्या प्रावधान होगा और किसानों को कम्पंसेशन देने की क्या योजना है, मंत्री जी यह बताने की कृपा करें ।

अध्यक्ष महोदय : ये ठीक ही कह रहे हैं । नकली बीज का धंधा करने वाले बड़े जालिम

हैं। वे बहुत बुरे आदमी हैं और नीच होते हैं और ऐसे लोगों को दंड मिलना चाहिए।

श्री आरीफ मोहम्मद खां : इस पर ध्यान देना ही चाहिए क्योंकि कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किये ही जाने चाहिए और एक कड़ी यह है कि हम अपने किसानों को अच्छे बीजों का वितरण सुनिश्चित करें। बुनियादी बात यह है कि अच्छे बीज की मांग बहुत बड़ी है। जो बीज नेशनल सीड कारपोरेशन और विभिन्न राज्यों के निगमों के द्वारा बीज तैयार किये जा रहे हैं उनसे किसानों की आवश्यकता उस हद तक पूरी नहीं हो पा रही जितनी कि उन्हें जरूरत है। एक मैं यह निवेदन करूंगा कि यदि हमारे किसान नेशनल सीड कारपोरेशन और राज्य बीज निगमों के सर्टिफाईड बीज, या उनकी एजेन्सियों द्वारा सर्टिफ़ाईड बीज ही खरीदें तो उनको धोखाधड़ी की गुंजाइश कम रहेगी। (व्यवधान) फिर भी धोखा कभी-कभी हो जाता है।

श्री शिवकुमार सिंह ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया है। मैं यह जानकारी चाहता हूं कि जब नेशनल सीड कारपोरेशन के पास उतना बीज नहीं होता है जितना कि किसान को चाहिए, तब बीज के मामले में पूरे देश में जो यह रैकेट चल रहा है, उसके खिलाफ आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वे यह पूछ रहे हैं कि जो बेईमानी करते हैं, जो गलत काम करते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ? यह बताइये।

What is the strictest possible punishment you are prepared to give them ?

SHRI M. RAM GOPAL REDDY : Mr. Speaker also wants to know about this information.

MR. SPEAKER : The House wants it, not the speaker. It is for national good.

श्री आरिफ मोहम्मद खां : जैसा मैंने पहले उत्तर में कहा, जहां कहीं बीज के वितरण के सिलसिले में किसी डीलर के द्वारा धोखाधड़ी की जाती है तो यह मामला राज्य शासन के अधीन आता है। उसी के द्वारा इस शिकायत को देखा जाता है और शिकायत को दूर करने की कोशिश की जाती है।

वैसे मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगा। जो सैम्पल लिये गये वे इस प्रकार हैं—

1979-80 में 35,416 सैम्पल लिये गये

1980-81 में 36,095 ,, ,,

1981-82 में 31,171 ,, ,,

जहां क्वालिटी सब-स्टेण्डर्ड पाई गई, अच्छी नहीं पाई गई, ऐसे मामले

1979-80 में 5,430

1980-81 में 7,324

1981-82 में 5,612 पाये गये

ऐसे डीलर जिनको वार्निंग दी गई या जिनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं—

1979-80 में 181

1980-81 में 87

1981-82 में 29 थे।

जैसा मैंने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम एक्ट लाया जा रहा है और उसमें नियम बनाये जा रहे हैं। अभी उसे अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। उसमें यही बात ध्यान में रख कर चला जाएगा ताकि इस धोखाधड़ी को रोका जा सके और किसानों को अच्छे

बीजों का वितरण सुनिश्चित किया जा सके। इसी के लिए ये नियम बनाये जा रहे हैं।

श्री बनवारी लाल बैरवा : राजस्थान के टोंक में गत वर्ष जो बीज दिया गया उससे हजारों किसानों की खेती खाली रह गई, उनके यहां पैदावार ही नहीं हुई। दूसरे, पिछले साल जो बीज बच गया था क्या उसको थैलियों में भर कर काश्तकारों को बेचा गया ? तीसरे, जिन लोगों की बीज की वजह से क्षति हुई है उनको क्या सरकार मुआवज़ा देने का विचार रखती है ?

श्री आरीफ मोहम्मद खाँ : मुआवजा देने का तो प्रावधान नहीं है। अगर कहीं बड़े स्तर पर किसानों का नुकसान हुआ है और उसके लिए राज्य सरकार ऐसा कुछ महसूस करती है तो वह केन्द्रीय सरकार को यदि ज्ञापन दे तो उस पर ज़रूर सरकार द्वारा सोचा जा सकता है। लेकिन वैसे मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है।

जैसा कि माननीय सदस्य ने सूचना दी है, उसके बारे में हमारे पास कोई इत्तिला नहीं है। उसके बारे में सूचना एकत्र करके माननीय सदस्य को दे दी जाएगी।

लेकिन माननीय सदस्य ने यह नहीं बताया कि वह बीज किसके द्वारा वितरित किया गया ? अगर ऐसी सूचना दी जाएगी तो वितरित करने वाले के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।

SHRI Y. S. MAHAJAN : The hon Minister has said that action is being taken against the culprits. But I want to know exactly how many suppliers have been punished in the last year ?

MR. SPEAKER : He has replied to that. It is only 29 or some thing like that. The number is very negligible.

SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN : I have already given the number of those who have been warned. They had been warned only after it was found that the seed supplied by them was sub-standard.

SHRI Y. S. MAHAJAN : But warning is no punishment.

SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN : Prosecution is also taking place. I will pass on the information to the hon. Member.

Creation of Disease Free Zone for Meat Export.

*205. SHRI K. MALLANNA : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Indian Council of Agricultural Research is planning to create a disease free zone in the country from where meat can be exported ;

(b) whether it is also a fact that Indian cattle suffered from rinderpest which adversely affected the country by the ban on Indian meat import imposed by certain countries ; and

(c) if so, the details in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA) : (a) A disease free zone is being developed as a Centrally-sponsored Scheme in three southern-most districts viz., Quilon and Trivandrum of Kerala and Kanyakumari of Tamilnadu.

(b) and (c) There have been sporadic occurences of Rinderpest. However, this disease has largely been controlled in the major part of the country.

SHRI K. MALLANNA : The hon. Minister has mentioned about the centrally sponsored scheme in three southern-most districts. Apart from this scheme, I want to know whether there are any other schemes to control this pest throughout the country ; if so, the details thereof ?

SHRI YOGENDRA MAKWANA : It is the general policy of the Government to control this disease throughout the country.